



प्रेस नोट

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

दिनांक 19.08.2024

थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा वादी के साथ आपराधिक षडयंत्र कर जमीन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर कुल 2,27,57,188/- रु0 हड़प लेने व जान से मारने की धमकी देने वाले 02 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार ।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 27.07.24 को थाना इन्दिरापुरम पर वादी श्री शिशु रंजन कुमार पुत्र श्री उदय सिंह निवासी सैक्टर-9 वसुन्धरा के द्वारा उनके ड्राइवर सुमित मिश्रा पुत्र राजकुमार मिश्रा व अन्य के विरुद्ध आपराधिक षडयंत्र कर उनको जमीन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर कुल 2,27,57,188/- रु0 हड़प लेने व उनको जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था ।

कार्यवाही का विवरण

उपरोक्त प्रकरण में थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा प्रकाश में आए अभियुक्तगण 1. शिवकुमार दूबे उर्फ ऋषू पुत्र बृजेश कुमार दुबे निवासी गली न0 4 ए 344 साउथ गामडी करतार नगर थाना उस्मान नगर दिल्ली उम्र 26 वर्ष 2. आकाश मिश्रा पुत्र गोविन्दराम निवासी म0न0 पी 88 गली न0 5 शंकर नगर एक्सटेंसन थाना कृष्णा नगर दिल्ली उम्र 25 वर्ष व 01 अभियुक्ता गरिमा मिश्रा पत्नी सुमित मिश्रा निवासी बी 4 जगतपुरी थाना जगतपुरी दिल्ली उम्र 29 वर्ष को पूछताछ हेतु थाना इन्दिरापुरम पर बुलाया गया था । जिसमें थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा गहनता से पूछताछ की गयी तो उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्तगणों की संलिप्त होना पाया गया । जिसके उपरान्त दिनांक 19.08.2024 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त प्रकरण में संलिप्त 02 अभियुक्त उपरोक्त व 01 अभियुक्ता उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों व अभियुक्ता के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त व अभियुक्ता उपरोक्त से पूछताछ की गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आए कि वादी श्री शिशु रंजन कुमार के खाता से विभिन्न दिनाकों में अभियुक्ता गरिमा मिश्रा के खाता में 6,98,000/- रु0 की अनाधिकृत ट्रांजेक्सन होना पाया गया है । अभियुक्त आकाश मिश्रा के खाते में वादी के खाते से 6,08,100/- रु0 की अनाधिकृत ट्रांजेक्सन का होना पाया गया । अभियुक्त शिव कुमार दूबे उर्फ ऋषू के द्वारा वादी से 4-5 बार में नकद रुपये लेना स्वीकार किया गया है । उपरोक्त तीनों अभियुक्तगणों ने बताया कि सुमित मिश्रा उर्फ राजकुमार मिश्रा के कहने पर उपरोक्त धनराशि हमारे खातों में मगायी गयी । जिसके पर्याप्त साक्ष्य है । अभियुक्तगणों के द्वारा षडयंत्र करके उपरोक्त घटना को कारित करना पाया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता का नाम व पता

1. शिवकुमार दूबे उर्फ ऋषू पुत्र बृजेश कुमार दुबे निवासी गली न0 4 ए 344 साउथ गामडी करतार नगर थाना उस्मान नगर दिल्ली उम्र 26 वर्ष ।

2. आकाश मिश्रा पुत्र गोविन्दराम निवासी म0न0 पी 88 गली न0 5 शंकर नगर एक्सटेंसन थाना कृष्णा नगर दिल्ली उम्र 25 वर्ष ।
3. गरिमा मिश्रा पत्नी सुमित मिश्रा निवासी बी 4 जगतपुरी थाना जगतपुरी दिल्ली उम्र 29 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम ।

थाना लिंक रोड़ पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 02 पंखे (सिलिंग फेन) व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद ।

दिनांक 13.08.2024 को वादिया प्रधानाध्यापिका कम्पोजिट विद्यालय कड़कड़ माँडल नगर क्षेत्र गाजियाबाद की लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात चोरों द्वारा कम्पोजिट विद्यालय कड़कड़ माँडल की कक्षा-4 व विद्यालय हॉल का ताला तोड़कर टीवी रिमोट, यूपीएस, अलमारी का सामान कागजात, साइंस किट, बिजली वायरिंग और पंखे एमडीएम के बर्तन चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया था । घटना को गम्भीरता से लेते हुए आज दिनांक 19.08.2024 को थाना लिंक रोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर घटना में संलिप्त अभियुक्त रंजीत सोनी पुत्र शिव सोनी निवासी 833 संगम विहार थाना संगम विहार दिल्ली उम्र 36 वर्ष को कड़कड़ रेलवे फाटक के पास से चोरी किये हुये 02 पंखे (सिलिंग फेन) व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त रंजीत सोनी पुत्र शिव सोनी उपरोक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त रंजीत सोनी पुत्र शिव सोनी उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मैंने यह 02 पंखे व अन्य सामान के साथ माँडल नगर के एक स्कूल से करीब 8 दिन पहले रात्रि में स्कूल के कमरे का ताला तोड़कर चोरी किए थे । और अन्य सामान जिसमें कुछ कम्प्यूटर का सामान था, कुछ बर्तन थे । वो मैंने आते-जाते लोगों को बेच दिया है । 02 पंखे जो प्लास्टिक के कट्टे में रखे हैं । इनको आज मैं बेचने की फिराख में आया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

रंजीत सोनी पुत्र शिव सोनी निवासी 833 संगम विहार थाना संगम विहार दिल्ली उम्र 36 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण

- चोरी के 02 पंखे (सिलिंग फेन) व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम

थाना लिंक रोड़ पुलिस टीम ।